न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या–03 / 2025

सरकार बनाम संदीप।

आरोप

मै दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप संदीप पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूॅः–

1. यह कि दिनांक 12.07.2024 को वादी कमल सिंह की पुत्री योगेन्द्री आपके साथ विवाहोपरान्त जब अपनी ससुराल ग्राम किला मेवई अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर आ गई तो आपने वादी की पुत्री योगेन्द्री को अतिरिक्त दहेज की मांग हेतु समय–समय पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर उसका उत्पीड़न किया। इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी की पुत्री मृतका योगेन्द्री से अतिरिक्त दहेज की मांग की। इस प्रकार आपने धारा **3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि दिनांक 25.08.2024 समय 01:00 बजे स्थान ससुराल मृतका योगेन्द्री ग्राम किला मेवई अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में आपने वादी कमल सिंह की पुत्री योगेन्द्री को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर योगेन्द्री की दहेज हत्या कारित की। इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

वैकल्पिक आरोप

यह कि उपरोक्त दिनांक 25.08.2024 समय 01:00 बजे स्थान ससुराल मृतका योगेन्द्री ग्राम किला मेवई अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में आपने साशय व ज्ञानपूर्वक वादी कमल सिंह की पुत्री योगेन्द्री की हत्या कर दी, इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 07.03.2025

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 07.03.2025

राजकुमार शर्मा–आशुलिपिक।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा (बुलन्दशहर)।
सत्र वाद संख्या–03/2025

सरकार बनाम संदीप।

अपराध संख्या : 771 सन् 2024

धारा : 85, 80, 103(1)भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना : खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त संदीप जेल से उपस्थित आया।

मैने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्त पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 85, 80, भारतीय न्याय संहिता विकल्प में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त संदीप पर जुर्म अन्तर्गत धारा 85, 80, भारतीय न्याय संहिता विकल्प में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया। अभियोजन अपने प्रस्तावित साक्षियों की सूची पेश करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 24.03.2025 को पेश हो।

दिनांकः 07.03.2025

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.03.08 19:27:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court